



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 354 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-4

दिनांक: 08.03.2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोनामित कार्मिकों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित कर कालम सं० 05 पर अंकित कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

क०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	तैनाती स्थान	नवतैनाती तैनाती स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश अरोड़ा	सहायक लेखाधिकारी	कारपोरेट लेखा स्कन्ध, देहरादून	परियोजना कार्यालय, श्रीनगर (अतिरिक्त कार्यभार- परि०एवंअनु० मण्डल, श्रीनगर)
2	श्री आदेश कुमार	लेखाकार	220 के०वी० परि०एवंअनु० खण्ड, रुड़की (अतिरिक्त कार्यभार- परि०एवंअनु० जानपद खण्ड, रुड़की)	कारपोरेट लेखा स्कन्ध, देहरादून (अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य)
3	श्री विकास रावत	लेखाकार	क्रय एवं अनुबन्ध कार्यालय, देहरादून	220 के०वी० परि०एवंअनु० खण्ड, रुड़की (अतिरिक्त कार्यभार- परि०एवंअनु० जानपद खण्ड, रुड़की)
4	श्री विकास त्यागी	कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय	400 के०वी० परि० एवं अनु० खण्ड, श्रीनगर	220 के०वी० परि०एवंअनु० खण्ड, रुड़की (अतिरिक्त कार्यभार-220 के०वी० उपकेन्द्र, पिरानकलियर)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब हेतु वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

चूंकि उपरोक्त क्रमांक 4 में नामित श्री विकास त्यागी, कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय का स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। शेष स्थानान्तरित कार्मिकों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहें हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक: 354 / मा०सं०एवंप्र०अनु० / पिटकुल / ईएस-4 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (परियोजना) / (क्रय एवं अनु०) / (जानपद), देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता (परि०एवंअनु०) पिटकुल, गढ़वाल क्षेत्र, रुड़की।
5. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, परि०एवंअनु० मण्डल, रुड़की / श्रीनगर।
7. उपमहाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,
9. सम्बन्धित कार्मिक / कटफाईल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)